

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर.

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 SEP 2022

क्रमांक एफ 2-13/2022/सात-2 :: राज्य शासन एतदद्वारा निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करते हुए, कॉलम नम्बर (03) से कॉलम नम्बर (04) में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना जिला	नवीन पदस्थापना जिला
(01)	(02)	(03)	(04)
1	श्री शिवेन्द्र कुमार सिन्हा	जिला बालोद	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
2	सुश्री मणिमुक्ता पाटिल	जिला बालोद	जिला रायपुर
3	श्रीमती प्रीति शर्मा	जिला जशपुर	जिला जांजगीर-चांपा
4	श्री संदीप कुमार साय	जिला जांजगीर-चांपा	जिला बिलासपुर
5	श्री अनिरुद्ध मिश्रा	जिला सरगुजा	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
6	श्रीमती शशि नर्मदा नायक	जिला कबीरधाम	जिला महासमुंद
7	श्री राजकुमार मरावी	जिला बेमेतरा	जिला जांजगीर-चांपा
8	श्री कोमल प्रसाद साहू	जिला सरगुजा	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़
9	श्री मयंक कुमार अग्रवाल	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला बिलासपुर
10	श्री विनीत कुमार सिंह	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	जिला सरगुजा
11	श्री रमेश कुमार कमार	जिला बिलासपुर	जिला जशपुर
12	सुश्री मनीषा साहू	जिला बिलासपुर	जिला जांजगीर-चांपा

13	श्री विरेन्द्र कुमार श्रीवारत्तव	जिला कोरबा	जिला बीजापुर
14	सुश्री रोशनी तिकी	जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	जिला विलासपुर
15	श्री चुम्मन लाल धुव	जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
16	श्रीमती रुचिका अग्रवाल	जिला रायगढ़	जिला विलासपुर
17	श्रीमती श्रुति शर्मा	जिला रायगढ़	जिला रायपुर
18	श्री राहुल कौशिक	जिला मुंगेली	जिला विलासपुर
19	श्री हितेश कुमार साहू	जिला रायगढ़	जिला विलासपुर

2/ उपरोक्त स्थानांतरित नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माना जावेगा। स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3/ संबंधित जिला कलेक्टर का दायित्व होगा कि स्थानांतरित नायब तहसीलदारों को पदस्थापना स्थान के लिए तत्काल भारमुक्त करें तथा भारमुक्त आदेश के प्रति इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

4/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


30.9.22
(श्री त्रुहन यादव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
निरन्तर.....